Lankan Government. This is what Mr. Madhavan has brought to the notice of the Government, I would urge upon the Government not to accept what the Sri Lankan Government is putting to this Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN : This is for the first time that we have a discussion about Sri Lanka in a peaceful atmosphere and there is no noise. With cease-fire we have discussed it.

SHRI V. GOPALSAMY: Peace is also prevailing in the North-East because the L.T.T.E. is ruling there.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Shri S. P. Malaviya—not here.

Shrimati Sarala Maheshwari—not here.

Shri Ajit P. K. Jogi—not here.

Shri Kahnu Charan Lenka—not here.

Shri Shankar Dayal Singh—not here.

We had inconclusive discussion on the continuous atrocities on persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now we shall continue it. We want to see Home Ministry, everything. At last we can finish all our business for today. Now Dr. Vijaya Mohan Reddy.

SHORT DURATION DISCUSSION

Continued atrocities on persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various parts of the Country— *contd.*

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam, the atrocities on Adivasis are going on and every year atrocities are increasing and this is provided adequately in the statistics presented by the Government. We should go to the root cause. I initially stated "atrocities on Adivasis", They are the original inhabitants of our country and every system that has come in, slavery or feudalism, has tried to perpetrate this kind of a slavery and bordage. A section of our people have been kept outside our civilised functions. They were to reside outside the villages, drink from separate wells and their utility is only to work on the lands of feudals, to do all types of jobs for a pittance and absolutely there is no safety for them. This is a kind of situation which has been inherited in the very system. And to defend this kind of exploitation, religion has been bent down and this has been included in the Varnashrama Dharma and untouchability has been defended by as big a seer as Puri Shankaracharya. The gravity of the situation is such that from generation to generation, this poison is injected into the minds of people. That is why it has become a grave danger to the stability and the successful development of our country. For so many years Government has been spending money to ameliorate the conditions of these sections, but because of the exploitative system that is existing in villages, those powerful people who have cornered all these benefits have become richer and their fields have become better. But the plight of these untouchables, the Harijans, is becoming every day more and more deplorable. Their existence has itself become a question now because the landlord's land surrounds their settlement. They cannot go out even for purposes of ablution except to the landlord's land. That is why at every stage, even to collect wood for cooking they will have to depend on the landlord's land. That is why at every stage, there is an opportunity for these aggressive

3.00 P.M.

elements to interfere with the living of these communities. Unfortunately, Madam

[Dr. Vijaya Mohan Reddy]

some of these persons who become the privileged sections do not go back to their villages and fight back, I am trying to mention in this House that without a fight the conditions of these sections cannot be ameliorated. Take the case of the tribals, Before the advent of the Britishers, the tribals were free in their forests, The Britishers put their own laws and the tribals were driven deeper into the forests. They were exploited and they are exploited and on the forest wealth the tribals have no right at all. They are evicted from their lands and they are vacated from their house-sites and they will have to retreat into the forests once again and the laws that have been made are also against the interests of these tribals, whether it is the forest law or the excise law, These people were brewing their own liquor, but now they are forced to drink liquor which is being sold by the contractors. This leads to addiction and, in this way, not only are they deprived of their economic independence, but they are also being made to become addicts to liquor sold by the contractors,

Then there is the system of forced labour in all these sections, Forced labour is a very despicable thing and the land reform laws and other efforts that have been made during the past so many years have not resulted in any change. Even now, about two to three per cent of the landholders have got rights over 30 per cent of the land. That is why it has become very difficult. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has recommended that the principle of land to the tiller must be reenunciated, that suitable laws should be enacted for enforcing the same, that the practice of sharecropping should be formally recognised under the law, that the ceilings on land should be reduced and that payment of minimum wages should be ensured. If we go into all these things, we will find that there are recommendations by the Planning Commission, there are recommendation by the Commissioner and there are recommendations by others, but all these have not been put into practice. When they fight for a minimum wage, there is an onslaught on them, The incidents in Karsara and other places prove this. Mass slaughter has taken place and this is very very deplorable, I have been to this village and it is a small village with a group of ten to fifteen huts and there is no place for the people to move out, They have been cornered in their huts and there was an armed attack on them, Several people were killed. They were repairing their houses when they were attacked, Terror has been unleashed on them and they are forced to work under terror, and it produces its own reaction. That is why many parts in many States are coming under the influence of what I would call Naxalites, whether it is Bihar or the Dandakarayna area or some areas in Andhra Pradesh. There is a very big movement, But, unfortunately, the Government has not taken any action to prevent landlords from having Bhoomihar Sena and other such Senas for committing atrocities, There has been an onslaught from the other end, When the gunfire is coming from the others against the landlords, there is a big hue and cry. But this has to be properly understood and we must enforce all the laws properly and we must see that the rights of the peasants as well as the Scheduled Castes and Scheduled Tribe people as also the rights of the Adivasis are protected, Mahatma Gandhi said land belongs to Gopal. Nobody can lay a claim to land. Nobody has a birth-right in land. Whoever tills the land must get the benefit of it. Instead of that what we find is the tiller is different and the person who enjoys the benefits and the privileges is different, This type of exploitation is there. In Andhra there are several instances of atro-

cities on Harijans, In Cuddapah district, in Pulivendla in a hamlet of 200 houses of tribals, all the tribals were uprooted and their houses were dynamited, There is no one to ask and no action is taken by the present State Government, The tribals were just told, '.Get out of this area", and their houses were dynamited, There was no protest, In Nalgonda district, in Bodaigadda the premises of Banjaras were attacked, their male members were beaten up and their women raped, No action was taken, A situation has come when the people do not have confidence in the police. No inquiry is conducted. No punishment to the culprits is given, I request the Minister to go through the records for the last one or two years and see how many cases of atrocities occurred and what action was taken and whether anyone found guilty was punished, A study of that sort should be made, Unless we know that effective action will be taken in case of such atrocities, we will not be in a position to tackle this problem of atrocities, Under the circumstances I earnestly request the Minister to undertake such a study, In the case of the Fatehpur incident I have seen the press reports today, the police have not taken proper statements, they have not registered the cases properly, That is why people are coming to lose faith in our justice system, This poses a grave danger to the very functioning of our democracy, I request the Minister to take all these points into consideration and swing into action and see that not only actrocities on Harijans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes are prevented but also that the rights of these downtrodden are protected by the Government, to see that land laws are properly implemented so that economic stability of these classes is achieved and by achieving economic stability they get dignity in their living.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I believe the Chair person will have a soft corner for maidens....

THE DEPUTY CHAIRMAN: *Naturally, all women should have a soft corner for maidens.*

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Madam, this is my maiden speech and I would like to make it in my language, Tamil.

*Madam Deputy Chairperson, Hon'ble Ministers and Hon'ble Members, this is my maiden speech and I have a sound reason for speaking in Tamil, Our Tamil is as old as the human race. In keeping with the saying in Tamil "Let the world too rejoice just as we" and to make you feel the melliflousness of Tamil in your ears, I chose to speak in Tamil.

This part, I strongly feel that, in keeping with the spirit of the Eighth Schedule to the Constitution, all the Indian languages should be treated alike, It should not be the exclusive right of Hindi to get all the privileges, All our languages should be treated alike and the public money should be spent for the development of all these languages. It is for these reasons that I speak in Tamil.

The revered founder of our party, Peraringnar Anna, who woke up Tamil Nadu from its slumber, adorned this august House once, On the floor of this very imposing Chamber, he raised his voice for the cause of the slum and pavement dwellers, Following his foot-steps, our leader and the leader of the Tamils, Dr. Kaliangnar, is working tirelessly for removing untouchability.

*English translation of the original speech in Tamil.

[Shri T.A. Mohammed Saqhy]

Bonded labour, untouchability, harrassment to the scheduled caste and scheduled tribe people, treating the downtrodden in a manner even worse than animals—all these have been going on for over thousand years, right from the time of Manusmriti.

The very word 'Sutra' mentioned in Manusmriti is an affront on humanity, It is a treachery on the working class, This has been said by Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar, Thanthai Periar and Perarignar Anna, And today Dr. Kalaingnar holds the same view and is struggling against odds to remove this social stigma for ever. Feudalism should not find a place in society. There should not be an element of such feeling. There should be no upper class and lower class among people. That is why, Thanthai Periar and Dr. Ambedkar asserted that social freedom and social equality is far more important than political freedom. Dr. Ambedkar was the Chairman of the Drafting Committee that drafted our Constitution sitting in the Central Hall. But, it took 42 years to have his portrait unvailled in the Central Hall of Parliament, this needed repeated appeal by Mr. V. Gopalsamy on behalf of D.M.K. Hon'ble Member Mr. Gopalsamy has been demanding for installing the portraits of Thanthai Periar and Dr. Ambedkar in the Central Hall for a long time. He has half succeeded by getting the portrait of Dr. Ambedkar unvailled in the Central Hall. Even this took place only after the Government headed by Shri V. P. Singh assumed office. So, I reqiest the present broad-minded National Front Government to urveil the portrait of Thanthai Periar, who fought against untouchability all through his life.

Unfortunately, the proposal to name a university after Dr. Ambedkar, in the land he was born. has become an issue. Babu Jagjivan Ram was a Union Minister for over quarter-of-a century. On 24th January, 1978, he pressed a button to unveil the statute of Dr. Sampoornanandha, former Chief Minister of U.P. But what happened after that ? The statute was given a bath with Ganga water because, reportedly, it had lost its sacredness. This happened in this country. But I say with a sense of pride that, as a token of respect to the champion of the downtrodden, and to say emphatically that we follow the path shown by him, our leader Dr, Kalaingnar has named the North Arcot District of Tamil Nadu after Dr, Ambedkar. So he deserves all appreciation by this government and the nation. Therefore, I request the Government to invite the Chief Minister of Tamil Nadu to this august Central Hall and felicitate him for this noble deed.

With a sense of paralysing calamity, I wish to say as to what is happening today. Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are subjected to torture and humiliation. Burning and destroying their houses, beating them injuring them, flogging them, dispossessing them of their meagre belonging, mistreating women, raping women, murdering if resisted, This is the plight of the unfortunate people even today. It is a matter of shock and surprise that the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Haryana and Rajasthan that surround the capital city, Delhi, stand in the forefront in inflicting atrocities on Harijans and tribals.

I have some break-up of figures Statewise in the matter of crime, murder and rape committed on Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. During the period between 1985 and 1989 the number of crimes committed in M.P. is as much as 26836, In U.P. 18625, Bihar 6325, Guiarat 3756 and Rajasthan 8155 Again, between 1987 and 89 November M.P. has a record of 287 mu-

ders and 655 rape cases. In case of U.P. it is 298 and 458, Bihar 149 and 146, Gujarat 57 and 84, Rajasthan 104 and 281. What is the remedy for all these crimes ?

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): It was all during Congress rule.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: The Hon'ble Madam Deputy Chairman knows which party ruled this country during these five years.

Madam, for such crimes, the practice of registering cases, prosecuting and punishing the guilties will not suffice. A National level propaganda against such atrocities is the need of the hour. And this should get precedence over others. For this we need private agencies and training establishments. Both, the Central and State governments should provide funds for such organisations, Intercaste marriage should be encouraged. In Tamil Nadu, financial assistance and morale support is being given for such marriages. Our beloved Chief Minister, Dr. Kalaingaar set an example by getting a Scheduled Caste girl married to his son. Government should give financial assistance, employment opportunities and priority in education to those who marry a girl or a boy belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

Madam, I have a page from history. For 100 years, no one belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes became a judge in the Madras High Court. But during the D.M.K. rule. Mrl Justice Varadhrajan, belonging to Scheduled Castes, hailing from my district of North Arcot was appointed a judge of Madras High Court. So, I hope that this government will appoint S.C. & S.T. people in higher posts without any hesitation. Then alone, they will have any faith in democracy and the administration. According to 1981 census, Scheduled Castes people accounted for 10.5 crores of the total population, i.e. 15.75%. Scheduled Tribe people accounted for 5.38 crores i.e. 7.8%. 15% for Scheduled Castes and 7.5% for Scheduled Tribes have been reserved in employment opportunities in Class I and Class II posts. But what percentage has been filled up so far ? It is a meagre 4% in case of S.C. and 2% in case of S.T. Therefore, the Government should immediately fill up these vacancies through special drives.

During Congress regime, about 45000 vacancies reserved for S.C. and S.T. were not filled up. During election the Congress people promised that they would fill up all those vacancies in a short while to buy the votes from S.C. & S.Ts. But, I ask for how many years this backlog was carried on. At a time when the number of unemployed persons is on the increase, here is a cruel situation where you don't fill up the existing vacancies. Whose fault is it ? Is this the fault of those who had been ruling this country from Delhi ? Is it the fault of politicians or that of rulers ? Or is it the sinister design of those in the government having scorn for S.C. & S.T. people. This has to be probed into.

I wish to quote from the record the number of bonded labourers released between 30th May 1978 and 30th June 1989. Of those released in the States of Gujarat, Haryana, Karnataka, Orissa and Kerala, 53% belong to S.C. and 19% S.T. This signifies as to which community is in bonds and shackles even today. Rehabilitation centres and vocational training establishments have been set up. Happily, under the order of the government

[Shri T. A. Mohammed Saqhy]

a National Commission has been set up and various Commissions on S.C. & S.T. have been linked to it for better cooperation and speedy action. This is a welcome move and we are happy about it. And under the Integrated Rural Development Programme S.C. & S.T. people are being given 50% grant for the work allotted to them. I am happy that about 8.5 lakhs people are going to be benefited by this scheme.

I wish to mentioned an important event in history. In Tamil Nadu, Archagas Act was passed that enabled any person trained in Aagamas to become priest in a temple irrespective of the caste of the person. Particularly Harijans could become priest under this Act. But the priest—class challenged this Act through a writ petition in the court and subsequently, the Act is put in cold storage in the Supreme Court. If this Act is implemented, the stigma attached to the S.C. & S.T. epople will be crushed in one go. So, I request this government to bring in suitable legislation to enable people of all castes to become priests. The government should not only bring in legislation but also implement it. In Tamil Nadu, a person belonging to S.C. or S.T. is appointed a member of every Religious Endowment Trust. This is a noble deed of Dr. Kalaingnar. I request the centre to follow this step and bring suitable legislation to implement it throughout the country.

In Tamil Nadu, since D.M.K. came to power, many welfare schemes for S.C. & S.T. people have been launched. From the time of D.M.K.'s assuming office, i.e. from 1989 to 91 April, a scheme to build 89 thousand concrete houses was launched. Out of this, 42,000 houses have been built. 40,000 people have been given title deeds of house sites. Not only this, 5 kgs. of rice is given to each poor family thrice a year. 83 lakhs families are getting the benefit under this scheme. 83 lakhs poor families received free dhotis and sarees. It is the S.C. & S.T. people who get maximum benefit under this scheme. Old age pension at the rate of Rs. 50 per month and financial assistance to the handicapped at the rate of Rs. 50 per month is given and 4.64 lakhs people are benefited under this scheme. For the marriage of poor girls financial assistance is given at the rate of Rs. 5000. 11338 women have been benefited. Rs. 200 is given as maternity assistance. 97472 mothers have got the benefit. Rs. 2000 is given for the rehabilitation of the destitutes. 10517 people are benefited under this scheme.

SHRI V. GOPALSAMY: Please give him two more minutes Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You are only a Director while he is the performer.

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY: Madam, Rs. 10,000 is given as assistance to the family of a person died in accident. 235 families got this assistance. Cycle-rickshaw pullers, auto-rickshaw drivers and taxi drivers totalling 5287, have been given financial assistance. Under free education scheme upto Graduation, 26,789 people have got the benefit. Harijan women are the most benefited lot under this scheme. Therefore, such schemes should be launched more and more. The Central and State Governments should provide enough funds for such schemes for the welfare of S.C. & S.T. people.

And, in spite of the religion they practise—Hinduism, Bhudhism, Christianity or Islam—the S.C. & S.T. people should be given all the benefits they are entitled for. Concession should be given only on the basis of their caste and not religion.

Yesterday, our Hon'ble Minister Shri Ram Vilas Paswan got a bill passed by this House to remove this injustice. We are all very happy about it. As I conclude, I thank Madam Deputy Chairman for giving me more time.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Thank you for your maiden speech. Mr. Saqhy. I wanted to inform Mr. Gopalsamy that the Rajya Sabha Secretariat has translators for the performers, not for the directors.

Now, Shri Surendra Singh Thakur. He is not here. Shri Sangh Priya Gautam. आपके 11 मिनिट हैं, उसके अनुसार आप चलें।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : थोड़ा सा और समय मिल जाता।

उपसभापति : नहीं, आपकी मेडेन स्पीच का पर्दा उठ चुका है।

श्री संघ प्रिय गौतम : अच्छा कोई बात नहीं।

उपसभापति महोदया, अनुसूचित जातियों पर जुल्म और अत्याचार की कहानी ऐसे ही चली आ रही है, जैसे "हरिजन" शब्द असंवैधानिक घोषित होते हुये और इस सदन में निर्णय लेने के बाद भी बराबर इस्तेमाल होता चला आ रहा है।

महोदया, हम यहां पर जब अनुसूचित जातियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार के बारे में चर्चा करते हैं तो निस्संदेह उसमें हमारे तीन अभिप्राय होते हैं– घटनाओं को प्रकाशित करते हैं, घटनाओं के पीछे जो अपराधी होते हैं उनको सजा दिलाने की बात करते हैं और अत्याचारों को कैसे रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है, उस विषय में अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि इतने लम्बे समय से साम्राज्य बदले, राज्य बदले, शासन बदले, सरकार बदली, लेकिन इन वर्गों पर अत्याचार की कहानी समाप्त नहीं हुई, आखिर इसके कारण क्या हैं ? इसके दो प्रमुख कारण हैं–एक कारण तो यह है कि इस देश में जन्म के ऊपर आधारित जाति-व्यवस्था जो समाज में प्रचलित है, उससे जो मानसिकता पैदा होती है, वह मानसिकता इन अत्याचारों के पीछे हैं और दूसरा कारण यह है कि अनुसूचित जाति के लोग शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाओं के बाद, वायदे करने के बाद भी आज हम इनको मजबूत नहीं कर पाये हैं और इस स्थिति में इनको नहीं ला पाये हैं कि वे अपनी आत्म-सुरक्षा कर सकें।

महोदया, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इन पर हो रहे अत्याचार किसी एक विशेष क्षेत्र में सीमित नहीं हैं। जन-साधारण के ऊपर अत्याचार देहातों में होते हैं, उनकी बहू-बेटियों की अस्मिता लूटी जाती है, मारा जाता है, सामूहिक हत्यायें होती हैं, उनकी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मारा-पीटा जाता है, झूठे अपराधों में बन्द किया जाता है, भागलपुर जैसे जेल में अंधा किया जाता है, फेक एनकाउंटर दिखाकर मार दिया जाता है। यह मार-पीट की घटना केवल वहां तक ही नहीं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सर्वोच्च संस्था, जो गारन्टी करती है इनके सम्मान की, इनकी सुरक्षा की, यहां पर भी इन अनुसूचित-जाति के प्रतिनिधियों को मारा गया है। पिछली सरकार के समय गुजरात में आरक्षण-विरोधी आन्दोलन के दौरान जब एक माननीय सदस्य की फैक्टरी को जला दिया गया, उसके नौजवान बच्चे को आग में फेंक दिया गया और जब उसने लोकसभा के अन्दर आवाज उठाई तो उसी के दल के सदस्यों ने उसको मारा और मुंह पकड़कर के पीछे खींच लिया। यहीं पर अभी पिछली सरकार में एक माननीय अनुसूचित जाति के सदस्य को, जो मंत्रि-परिषद के विस्तार के समय आज मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन बहुत बड़े पद पर बैठाया गया है, उसी को यहां पर असम्मान-

[श्री संघ प्रिय गौतम]

जनक शब्दों से संबोधित किया गया और जिस सदस्य ने संबोधित किया, बजाय उसको दंडित किया जाता, उसको ईनाम देकर के मंत्रि-परिषद में शामिल किया गया । अत्याचारों की सीमा यहां तक ही सीमित नहीं है, देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वह भी अत्याचार करती है..इसमें क्या होता यहां जो जूडिशियरी है वह भी अत्याचार करती है । फर्क इतना है कि अभी तक तक हमने अत्याचारों को केवल जान-माल और सम्मान की सुरक्षा तक ही केंद्रित रखा है लेकिन मानसिक अत्याचार इन वर्गों के ऊपर क्रमबद्ध रूप से बहुत बड़े पैमाने पर होते चले आ रहे हैं और वह मानसिक अत्याचार क्या हैं । बच्चे जब दाखिले के लिये जाते हैं तो उन्हें दाखिला नहीं मिलता । पब्लिक स्कूलों में उन्हें दाखिला नहीं मिलता क्योंकि इंट व्यू बच्चों का नहीं होता, उनके मां-बाप का होता है । मां-बाप अशिक्षित होते हैं । कहा यह जाता है कि जिनके मां और बाप बी.ए., एम.ए., पास हैं उनके बच्चों को दाखिला मिलेगा । चुनांचे उनको दाखिला नहीं मिलता ।

They are not admitted in Government schools and colleges.

सरकारी वकील बनाये नहीं जाते । जज नियुक्त नहीं किये जाते ।

I thank D.M.K. men that they had the courage to sponsor at least One High Court Judge Mr. Vardarajan who was elevated to the Supreme Court as a Judge. I thank them.

लेकिन सारे हिंदुस्तान में यह जजों का जो अपाइंटमेंट है – इट इज ए फ्रेश अपाइंटमेंट । जब जूडिशियरी में इनीशियल स्टेज पर यह नीति लागू होती है तो यहां लागू क्यों नहीं होती ? यह कोई प्रमोशन नहीं है, यह फ्रेश अपाइंटमेंट है । यह क्या है ? यह मानसिक अत्याचार है और इस मानसिक अत्याचार की झलक मैं आपको बताता हूं कि इसीलिये यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन लोगों के खिलाफ आते हैं । अभी परसों ही एक फैसला आया जिसका जिक्र यहां हुआ और मैंने यहां पर कहा और रिक्वैस्ट की सरकार से कि उस जजमेंट के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन डाला जाना चाहिये ।

एक तरफ आप आरक्षण की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसला दिया है । उस पर कोई रिपरकशन जूडिशियरी के ऊपर नहीं बनाना चाहता यद्यपि यहां के चीफ जस्टिसों ने जुडिशियरी को कभी बख्शा नहीं जब वह कुर्सी पर रहे और जब कुर्सी से हट गये तब भी उन्होंने जुडिशियरी पर कीचड़ उछाला है । मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता लेकिन इतना कहा जाता है कि एक स्टेट से अगर इम्प्लायमेंट के लिये या प्रोफेशन के लिये दूसरी स्टेट में जाता है और एक स्टेट में शैड्यूल कास्ट है और वहां पर नहीं है तो उसे प्रिविलेज नहीं मिलेगा । मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि एक वालंटियरी और एक अन-वालंटियरी पलायन है । एक माइग्रेशन है प्राफेशन के लिये और एक है इम्प्लायमेंट के लिये । तीसरा माइग्रेशन कंफ्लशन से भी हो सकता है, जहां पर जुल्म, अत्याचार होते हैं वहां से भी लोग जा सकते हैं । फिर क्या होगा ? उनको सुविधायें नहीं मिलेंगी और आर उसके पीछे यह भावना है कि उनकी वहां संख्या बढ़ जायगी तो 18 परसेंट का आरक्षण उत्तर प्रदेश में जनगणना के हिसाब से चला आ रहा है । जबकि 1981 के आंकड़े यह कहते हैं कि उनकी आबादी 21 परसेंट है तो अगर वहां से लोग दूसरी स्टेट में जाते हैं तो कोई हानि की बात नहीं है क्योंकि वे जिस स्टेट से माइग्रेट करेंगे वहा उनकी जनसंख्या कम हो जायेगी तथा आरक्षित कोटा कम हो जायेगा । यह भी संविधान के अनुकूल बात है लेकिन जूडिशियरी क्या फैसला दे रही है ? उसकी मानसिकता खराब है और वह जन्म के ऊपर आधारित जाति से उपजी है ।

श्रम मंत्री जी ने कहा था कि श्रमिकों की भागीदारी मिलों में होगी ताकि उनके हित सुरक्षित रहें । तो फिर इन अनुसूचित जाति के अधिकारियों की भागीदारी पालिसी मेकिंग में क्यों न हो, नीति-निर्धारण में क्यों न हो ? नीति

निर्धारित करते हैं यहां के सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज। मैं दुख के साथ कहता हूं कि मेरे पास प्रधानमंत्री जी का उत्तर आया है कि 46 सेक्रेटरीज हैं, एक भी शैड्यूल कास्ट या शैड्यूल ट्राइब का नहीं है, 38 एडीशनल सेक्रेटरीज हैं, एक भी शैड्यूल कास्ट या शैड्यूल ट्राइबका नहीं है। And they are the policy makers. They will safeguard the interest of the downtrodden. How can they safeguard their interest ?

आप कहते हैं कि सारी भागीदारी इनके जिम्मे है । जब वह पालिसी मेकिंग में नहीं आते तो उनकी भागीदारी कैसे हुई ? मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप कहते हैं कि छुआछूत अपराध है, यह समाप्त होनी चाहिये हालांकि छुआछूत समाप्त नहीं हुई पर संविधान में लिख दिया गया है —untouchability is hereby abolished. मैं चाहूंगा कि जातीयता चाहे समाप्त न हो लेकिन संविधान में एक संशोधन लाया जाए कि that the caste is thereby abolished.

एक तो मेरा यह सुझाव है, जब तक जात रहेगी असमानता रहेगी, असमानता रहेगी अन्याय रहेगा, छुआछात रहेगी, शोषण रहेगा, जुल्म अत्याचार रहेंगे ।

महोदया, दूसरे एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि यह जो अनुसूचित जातियों पर जुल्म अत्याचार होते हैं, जैसा मैंने कहा कि वे शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं तो फिर इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?–हथियार चलाने की उन्हें ट्रेनिंग नहीं, मिलट्री में आरक्षण नहीं और भर्ती होने जाते हैं तो मना कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि सिक्ख, अहीर, ठाकुर, राजपूत आ जायें, बाकी सब चले जायें । ये कैसे अपने आपको बिल्ट अप करेंगे ? जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें उनकी भर्ती होती नहीं और इसके अलावा हथियारों के लायसेंस इनको दिये नहीं जाते । एक तरफ देखिये कि विलेज डिफेंस स्कीम के तहत हर गांव के प्रधान सरकार लायसेंस देती है और अपने पैसे से बन्दूक मुहैया कराती है गांव की सुरक्षा के लिये । लेकिन इन लोगों की सुरक्षा के लिये न लायसेंस देती है, न पैसे से आर्म्स देती है then how can they defend their person and property ?

मैडम, तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा । अब इन अपराधों को रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही हो सकती है ? जो शारीरिक अपराध हैं, जो उनके जनजीवन , सपत्ति और सम्मान से संबंधित हैं सबसे पहले इसमें तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये । । एफ०आई० आर० सही होनी चाहिये, मुलजिमान को आत्म समर्पण का मौका कचहरी में जाने का नहीं देना चाहिये, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिये, उनके माल की कुर्की होनी चाहिये और यह जो मैं बातें कह रहा हूं वह हैं जो सब लीगल हैं । इसके बाद में मोबाइल कोर्टस होनी चाहिये, देन एंड देयर मुकदमों का डिस्पोजल होना चाहिये, गवाह उपलब्ध कराने चाहिये, बाद में गवाह टूट जाते हैं ताकि अपराधियों को सजा मिल जाये । अगर यह नहीं होता है तो फिर वह अपराधी सजा नहीं पा सकेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एस०पी० में से कम से कम एक जिले में और संभव न हो तो एक एडिशनल एस० पी० या ए०डी०एम० एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया जाना चाहिये । जो एरियाज ऐसे हैं जहां जुल्म अत्याचार होते हैं आइडेंडीफाईड हों, वहां अनुसूचित जाति का थानाध्यक्ष होना चाहिये और 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष हों ।

मैडम, इसके अलावा मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । अब मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं ।

उपसभापति : आपको तो सुझाव ही देना था ।

श्री **संघ प्रिय गौतम** : थैंक्यू वैरी मच मैडम ।

उपसभापति : कृपया एक मिनट में खत्म कर दीजिये ।

श्री **संघ प्रिय गौतम** : दूसरे, इधर उनके समाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिये जो शिक्षा तथा नौकरियों में संवैधानिक प्रावधान हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिये । जैसा डी० एम० के० फ्रेंड ने कहा स्पेशल रिक्रूटमेंट की स्कीम चलाकर यह कोटा पूरा करना चाहिये, क्योंकि यह आरक्षण भी एक बाधा है, इससे मानसिकता भी दूसरे लोगों में पैदा होती है कि इनको आरक्षण मिल रहा है और हमें मिल नहीं रहा । लेकिन इनको पूरा नहीं होता और स्थिति क्या है ?

सताते भी हैं मुतवातिर और रोने भी नहीं देते ।

यही बस इनकी मंशा है कि मैं घुट-घुट कर मर जाऊ ।

यानी पूरा भी नहीं करते आरक्षण को, इसलिये इसे पूरा किया जाना चाहिये और अभी मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, हमारे अ० जाति के 210 अधिकारी यहां मौजूद हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के अधिकारी हैं और कैरेक्टर रोल जिनके बहुत उम्दा हैं, कुछ प्रमुख सचिव रह चुके हैं स्टेटस में but to my utter surprise वापिस कर दिये गये और यहां चार्ज नहीं दिया गया है एडिशनल सैक्रेटरी का । इस समय शायद कोई बनाया जा रहा है । उसमें इन्शयोर किया जाये कि ज्वाइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सैक्रेटरी बनाये जाये । अगर यह नहीं होता है तो यह सिर्फ घडियाली आंसू सरकार के रह जायेंगे –

और न खुदा ही मिला न विसाले सनम

न इधर के रहे न उधर के रहे ।

कुछ होने वाला नहीं है इस समाज का भला । मैं सरकार की इंटेंशन को डाउट नहीं करता । मगर विश्वास है मुझे और खास तौर से श्री पासवान जैसे मेधावी व्यक्तित्व पर मुझे आशा है कि वह प्रधान मंत्री से मिल करके इन सचिवों के ऊपर केवल इस बात को नहीं छोड़ेंगे जातीय मानसिकता से पीड़ित हैं । आप इंटरवीन करेंगे और यह जो संवैधानिक प्राविधान है इसको लागू करेंगे ताकि थोड़ी बहुत यह जो प्रोब्लम है, यह हल हो जाये, कम हो जाये ।

With these words, I conclude. Thank you, Madam.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam) : Madam, with much pride I want to say that there are no such atrocities against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the entire north-eastern region. Probably it is because of the fact that there is no such social stratification in the north-eastern sector of the country. But all is not well in the other parts of the country, specially, Bihar, U. P., Madhya Pradesh, Andhra, etc. Killing by the higher clans is a common feature in these States and it has been continuing for years together. It has become a rule of law, it has become the trend and, under the slightest pretex , people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are killed like beasts of the forest.

I have seen in the newspapers that when a boy or a girl belonging to a higher caste happens to marry a

girl or a boy of a lower caste, entire hell comes crashing down on them. Madam, I feel that major conflicts arise mainly because of land. So, to wipe out the disparity in the distribution of land between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the higher classes of people, stringent legal measures should be brought about. I think, more teeth should be provided to the laws existing already. Unless that is done, justice cannot reach these poor people and their lot will not improve.

We know that land really belonging to the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is in their names in the official records, but they cannot enjoy the produce of that land. It is because of the middlemen, landlords, jathedars and police who take advantage of the loopholes in the existing laws and deprive these poor people of their legitimate rights. Sometimes, even the protectors of law and justice also take the side of the affluent classes and deny justice to these people, firstly because these people do not know what the law is and, secondly because they are almost afraid of approaching the seat of justice for fear of retaliation by the higher classes of people. So, all these factors prevent these people from coming out openly to seek justice. Therefore, I think, the Government should take care to see that a provision is made to get the clear picture to find out whether people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are enjoying the opportunities offered to them by the State or not. I think the Government should create a Vigilance Cell both in the Government sector and the non-official sector so that they can look into this matter.

Secondly, the poorer sections—the uneducated and economically backward people—most often do not go to the courts. So, the honourable Minister should think of creating a Legal Cell at the village level also. Thirdly, provision should be made to see that proper education reaches the poor people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

अगर हर घर में शिक्षा दी हुई नहीं पहुंचती तो सरकार इन कानून के दायरे में और संविधान में संशोधन करके जो सुविधाएं पहुंचाना चाहती है वे सुविधाएं उन तक कभी नहीं पहुंचेंगी। यही मेरा कहना है।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Madam, we are discussing about atrocities on Harijans in India. The history of Harijans is embedded in distant past when there was compartmentalisation of labour and which ultimately became a permanent feature of the society. It further degraded into treating the sections which were doing the work of labour by hand, as lower castes, and the unfortunate thing which took place further is that they were treated as untouchables.

Man was created by God. All men are alike. The bood of one person can be used for curing another person, to whatever caste or religion he may belong. Therefore, the caste system, is, in fact, opposed to human nature, it is opposed to nature, it is opposed to the law of God as is also the apartheid which distinguishes man from man on the ground of colour.

Not long ago, the Prophet of Islam gave the message :

"A man who is black has no right or preference over a man who is white or vice versa or a man who is yellow has not right to preference over a man who is brown : it is the conduct of the main which will determine his status and character and that you human beings are all equal, having been born of one fatner, that is, Adam, and Adam was made of earth." But in actual practice man degraded himself and made compartmentalisation of human society.

[Shri Shabbir Ahmad Salaria]

In India, therefore, the caste system is embedded in the mind of our society. That is the cause. The cause has to be removed. Mahatma Gandhi was the only person who knew that it was ingrained in the mind and that the mind had to be cured. Therefore, Mahatma Gandhi took up the task upon himself, and he went to the *bastee* of the Harijans and worked with them and did all that they were doing. Is there any citizen of India, however lofty his claims may be, who can do what Mahatmaji had done ?

Our education system is not directed to removing this malaise which is existing in the mind of our society. Thereby, we dislike a particular section of our society as being untouchable. It is horrifying. It is also abhorrent to nature and to understanding of a prudent man that a man should treat another man as untouchable as if he is not a man.

Therefore, our effort should be directed very much to the removal of that feeling which exists from generation to generation in India against these sections of the society, who we call as untouchables, but nevertheless are as good human beings as we are, who eat as we eat, who live as we live, who die as we die. Therefore, I submit that we should direct our educational policy towards this. I understand that after some time a statement with regard to our education policy is going to be discussed. I wonder if the Minister or the Government will take note of this dire necessity to remove this ingrained apathy and disaffection against particular sections of our society, who are human beings but are treated as cattle. Because they have been so treated, their economic condition has worsened.

Therefore, I further submit that we are today in India where we should lament about the untouchables which we created by our mistakes in our history. But we are creating another class of untouchables. That is the minorities in India, who are not getting, particularly the Muslim minorities, any representation in the matter of services in the state and other matters. They are by and by going down the drain. One day after some years more we shall have another class of untouchables, and those will be the Muslims in India, in due course of time. Therefore, we should take care of them and see that they also do not lag behind the other sections of society and ensure that they all go hand in hand together.

There has been a valuable suggestion that we should make laws and punish those who resort to this practice of untouchability against the *Harijans* and depressed classes. I submit those are symptoms of the disease. You may remove the symptoms, but what is more important is that disease has to be removed.

These untouchables are doing the labour work in this country. They are the labourers of the country doing all sorts of jobs without getting adequate returns. The labourers on land are not having land. The only way out is to abolish landlordism in India as we abolished it in J & K in 1950 without paying any compensation. We gave the land to the tillers, who were mostly untouchables. They are now living as very respectable part of the society in Jammu and Kashmir. I can vouchsafe there is not a single incident of atrocities against the Harijans in Jammu and Kashmir. That should be done in other parts of the country as well.

There is much talk in India about the removal of injustice being done to the untouchables. But in actual practice we are not prepared to give them land. Some hon. Members have lamented that land cannot be given in their possession. You know they cannot even go to answer the call of nature because they are exposed to harassments.

Our education system should be improved and land should go to the

tillers apart from other measures which have been suggested by the hon. Members in this House.

With these words, I thank you very much for you have been kind enough to give me some time to make my submissions on this important question.

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं श्रीमती कमला महेश्वरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय को सदन में रखने का काम किया और सरकार तथा देश का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। काफी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और सरकार निश्चित रूप से उन पर न सिर्फ विचार कर रही है बल्कि कार्यवाही भी कर रही है। आज का जो मुख्य विषय है वह है एट्रोसिटीज के संबंध में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर जुल्म और अत्याचारों से संबंधित है। मुझे खुशी है कि अधिकांश सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठ कर के इसको गम्भीरता से लेने का काम किया है। मैं इसे पार्टी की समस्या नहीं मानता हूं। यह राष्ट्र की समस्या है और हजारों साल से चली आ रही सामाजिक कुव्यवस्था की देन है। सरकार, समाज और राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का यह दायित्व है कि जो हमारे माथे पर कलंक है उस कलंक को हम धोने का काम करें। हमारे काफी सदस्यों ने अलग अलग उदाहरण दे कर के साबित करने की कोशश की है कि इन वर्गों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। इस में कोई दो मत नहीं है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। आंकड़े जो हैं वह कोई कम भी नहीं हैं। बहुत से सदस्यों ने अभी फतेहपुर में जो घटना घटी उस का जिक्र किया। महोदया, मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही ध्यान खींचना चाहूंगा चाहे किसी ने फतेहपुर की घटना के विषय में कहा, किसी ने पिपरा की घटना का कहा, किसी ने अरुवल की घटना का कहा, किसी ने कंसारा की घटना का कहा, किसी ने जहानाबाद जिले में नोनीह और दोमुहा का जिक्र किया. हमेशा संसद का कोई ऐसा सत्र नहीं जाता है, कोई साल ऐसा नहीं जाता है.... जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर जुल्म और अत्याचार होते हैं उन पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। मैं इस में किसी पार्टी का दोष नहीं मानता हूं, न ही मैं यह कह सकता हूं कि सरकार इसमें प्राम्प्ट नहीं है। लेकिन जितनी आवश्यकता है इसमें एलर्टनेस की, इस पर प्रशासनिक कार्यवाही करने की, मैं समझता हूं कि किसी कारणवश उतनी कार्यवाही हो नहीं पाती है। अभी हमारे सामने फिगर हैं। प्रायः विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। फतेहपुर की घटना का जिक्र किया। अभी माननीय सदस्य नहीं हैं, अहलुवालिया जी नहीं हैं और भी दूसरे सदस्य नहीं हैं, दूसरी बेंच के नहीं हैं लेकिन चूंकि उन्होंने इस चर्चा को उठाया था इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि इसमें कुछ कहूं मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-4-90 की घटना घटी है, 11-4 को मुजरिम सरेंडर करता है और 22-4 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है। मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया होगा, ऐसा उदाहरण नहीं आया होगा कि जिसमें 5 तारीख की घटना हो और 22 तारीख को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गयी हो और वह भी जो शुरू में दाखिल हुई जो शुरु में चार्ज लगाया था वह 307 का लगा था लेकिन सरकार की तत्परता के कारण 307 को 302 में बदला गया और तमाम मुजरिम जेल में हैं। यह सरकार की नीयत का फर्क है इतना ही नहीं, जहां जहां अभी तक घटनाएं घटी हैं मैंने सारी घटनाओं को गम्भीरता से देखा है, चाहे 1988 में नन्हीं नगमा की घटना हो जिसमें 18 शैड्यूल्ड कास्ट के लोग मारे गये थे, चाहे बांझी की घटना हो जिसमें 17 शैड्यूल्ड कास्ट के लोग मारे गये थे जिसमें एक एक्स मेम्बर आफ पार्लियामेंट फादर एंथोनी मुरमू भी गोली के शिकार हुए थे, बिहार के कंसारा की घटना हो या दोमुहा की घटना हो जिसमें 11 शैड्यूल्ड कास्ट के लोग मारे गये थे, वेस्ट चम्पारन में 7-7-89 को एक सिटिंग एम० एल० ए० शैड्यूल्ड कास्ट के त्रिलोकी हरिजन की हत्या

[श्री राम बिलास पासवान]

कर दी गयी, पिपरा की घटना है जिसमें महिलाओं के साथ रेप किया गया, बीता आरा भोजपुर की घटना हो जहां 17 शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की हत्या हुई थी, तो मेरे पास ये उदाहरण हैं जिनके तहत मैंने देखा है कि कहीं भी 10 हजार या 20 हजार रुपये से ज्यादा कहीं किसी को नहीं दिया गया है लेकिन यह पहली घटना है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 10 हजार रुपया, चीफ मिनिस्टर के द्वारा 15 हजार रुपया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 हजार रुपया और 4 बीघा जमीन दी गयी। मैं इसका कोई बचाव नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं सिर्फ इसलिए यह कहना चाहता हूं कि यदि प्रशासन को यह भय हो कि हर समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करेंगे तो उसमें किसी को नहीं बख्शा जायेगा तो मैं समझता हूं कि घटनाओं के ऊपर रोक लगेगी। लेकिन आज तक जितनी भी घटनाओं को मैंने देखा है उसमें किसी में नहीं पाया है, एक दो को छोड़कर, पिपरा की घटना घटी थी 1977-78 में जिसने एडमिनिस्ट्रेशन ने चुस्ती से काम लिया था और जिसके तहत कुछ लोगों को सजा हुई थी, इसके अलावा मैंने किसी घटना को नहीं देखा जिसमें मुजरिम को जो सजा होनी चाहिए थी वह हो पायी। इसलिए साथियों मैं कहना चाहूंगा कि यह जो पोलिटिकल, राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है .. (व्यवधान)

[उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बेबी) पीठासीन हुए]

SHRI S. MADHAVAN (Tamil Nadu): The allegation is that the accused is close to the Prime Minister. The dying declaration was not taken by the officer though the victim was in the hospital. It is an allegation by his wife.

श्री राम विलास पासवान : यह ठीक है, उस पर मैं आ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अभी घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं जो घटती हैं जो भी जुल्म और अत्याचार होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो शुरू से प्रशासनिक कर्तव्य ही की जानी चाहिए चाहे उसका इन्वेस्टीगेशन हो चाहे ड्राइंग डिक्लरेशन का मामला हो। चाहे कोर्ट में जाकर तुरंत पेश करने का मामला हो, फैक्ट्स को रखने का मामला हो, इस सारे साक्ष्य के अभाव में, इन सारे गवाहों के अभाव में नतीजा होता है कि अंततोगत्वा कुछ दिन एक तक मुजरिम जेल में रहता है, लेकिन बाद में जाकर वह छूट जाता है।

4.00 P.M.

तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि जो प्रशासनिक कर्तव्य ही है—हालांकि हमारा जो प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज एक्टज है उसमें हमने कहा है कि जो इसके लिए दोषी होगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन कौन करेगा, कड़ी कार्यवाही? यदि सरकार की नीयत साफ नहीं रहेगी, तब तक कर्तव्य ही कौन किसके खिलाफ करेगा और यही मैं बारबार कहता हूं कि एक्ट और फैक्ट में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक्ट कुछ और बनता है, फैक्ट कुछ और है। जितने कानून बने हैं गरीब के लिए, जितने कानून बने हैं दलित के लिए, जितने कानून बने हैं माइनारिटी के लिए, लेकिन उसके यदि फैक्ट्स देखेंगे तो कानून बना है, उसके बड़ी संख्या में घटनायें घटती जाती है क्योंकि कानून का जो इंप्लिमेंटेशन है, कार्यान्वयन जो है, वह नहीं हो पाता है और नहीं होने का सब से बड़ा कारण यह है कि जो असली मुजरिम हैं, चाहे वह किसी न किसी कारणवश अधिकांश केसेज में वह बच निकलता है।

इसलिये मैंने कहा कि यह न तो कुछ इस तरफ का मामला है, न उस पक्ष का मामला है, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्र की समस्या को लेकर के जब तक उस नजरिये से हम नहीं देखेंगे, तब तक समस्या का निदान, होने वाला नहीं है। हमने पहले ही कहा जिस दिन से हम सत्ता में आये हैं, हम कोशिश कर रहे हैं और मैं तो अपने तमाम माननीय सदस्यों को, आज उस पक्ष के सारे सदस्यों नहीं हैं। अस्सी चूहे खाकर के बिल्ली हज को।

श्री शरद यादव : कहां गये हैं?

श्री राम विलास पासवान : वह जरा गये हुए हैं।

श्री शरद यादव : कहां गये हैं? गढ़ मुक्तेश्वर गये हैं क्या?

श्री राम विलास पासवान : तो वह नहीं है । मैं तो चाहता था कि यदि वह रहते, तो मैं उनको बतलाने की कोशिश करता कि आज हमारी सरकार यहां आई है, दिसम्बर से यह सरकार यहां आई है और दिसम्बर के बाद यदि आप देखेंगे, तो हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली दफा ऐसा मौका आया है कि जो 43 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, उसको हमने 43 दिन के अन्दर किया और अभी छह महीने के अन्दर यदि एक-एक करके उसका हिसाब लगाया जाएगा तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि वह सरकार जो पिछले 43 सालों में करने की बात तो दूर रही, सोचे भी नहीं थी, उसको हमने करने का काम किया और कल जो हमने बौखलाहट देखी थी, वह महज इसीलिये थी कि जो जमीन है, जिस शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब को बन्धुआ मजदूर बना करके रखा, वह जिस माइनारिटी को वोट को ललचा कर लेने का काम किया गया, आज वह जमीन पांव के तले से निकल रही है और यही कारण है कि उस पक्ष के लोगों को काफी दुख हो रहा है।

अभी हमारे साथियों ने राय दी थी कि इस सब के पीछे जमीन का मामला है। आज गरीब को जमीन का पट्टा तो मिल जाता है, लेकिन जमीन पर उसका अधिकार नहीं है । नतीजा होता है कि 1951 के आंकड़े के मुताबिक 51 लाख एकड़ जमीन निकली थी, लेकिन उसमें से मुश्किल से 17 लाख एकड़ गरीब के बीच में बंट पायी । बाकी यह जमीन नहीं बंटी, क्योंकि बड़े-बड़े भूमिपति कोर्ट में चले जाते थे।

हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो जमीन का मालिक है, जो जमीन संबंधी कानून है, उनको हम संविधान की नौवीं सूची में डालेंगे, जिससे जिस गरीब को जमीन का पर्चा मिले, जमीन का पट्टा मिले, सीधे जमीन पर उसका हक हो जाये ।

हमने 1979 में पार्लियामेन्ट के द्वारा शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये प्रिवेंशन आफ एट्रासिटीज एक्ट पास किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तक नहीं किया गया । क्यों नहीं नोटिफिकेशन हुआ था ? नीयत का अभाव था । कहा यह जाता था कि राजकीय सरकारें जब तक स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनायें तब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा। हम लोग मंत्री मण्डल में आये । हमने 15 जनवरी को स्टेट के वैलफेयर सेक्रेट्रीज को बुलाया, बैठक की और ला मिनिस्ट्री से पूछा कि क्या हम नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं ? ला मिनिस्ट्री ने कहा कि कोई रोक नहीं है । स्टेट के वैलफेयर सेक्रेट्रीज को बुला कर हमने कहा कि यदि 30 तारीख तक तमाम राज्य सरकारें अपने यहां स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण करें, नहीं तो 30 जनवरी को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और 15 जनवरी को हम अखबार के द्वारा कह देंगे कि कौन राज्य की सरकारें हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स नहीं बना रही हैं। 30 जनवरी को हमने नोटिफिकेशन जारी किया, 15 फरवरी तक आते-आते हमको इस बात की खुशी है कि एक-दो राज्य सरकारों को छोड़ कर सब ने स्पेशल कोर्टस का निर्माण करने का वादा किया है । और आज तमाम की-तमाम राज्य सरकारें उस दिशा में कार्यवाही कर रही हैं । इसलिये मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात नीयत की है।

कल हमारे साथी कह रहे थे कि, नव बौद्धों को जो आप ने रिजर्वेशन दिया है, यह आपका पोलिटिकल काम है। मैं कहना चाहूंगा हूं कि हम राजनीति में हैं, तो राजनीतिक लाभ उठाना कोई बुरा बात नहीं है। आप को किसने रोका था , 43 साल ? आपने 43 साल में क्यों नहीं किया ... **(व्यवधान)**...चलिये, तीन साल काट दीजिये। वह बीच में मिल जाता है न। **(व्यवधान)**.... आज उधर से कोई बोलने वाला नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि शंकर दयाल सिंह को थोड़ी देर उधर बैठा दिया जाय। हमारे साथी ने कहा कि तीन साल हटा दीजिये,

[श्री राम विलास पासवान]

तो 40 साल में क्यों नहीं दिया सेंट्रल हाल में डा0 अम्बेडकर साहब की तस्वीर लगे, इस में क्या था। तस्वीर तो लायी गयी थी, लेकिन किसने कहा था कि उस तस्वीर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाये।..(व्यवधान)... दरअसल आज मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उधर कोई है नहीं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसको रिकार्ड पर लाना चाहता हूं.... (व्यवधान) ... क्योंकि जब हम तस्वीर की बात करते हैं, तो जब हमने एक बार पार्लियामेन्ट में पूछा था तो कहा गया था कि सेंट्रल हाल में तस्वीर के लिये जगह नहीं है। लेकिन आज डा. अम्बेडकर की तस्वीर सेंट्रल हाल में है और वह सबसे बढ़िया जगह पर लगायी गयी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके पीछे नीयत चाहिये। भारत रत्न की उपाधि अभी तक क्यों नहीं दी गयी थी, डा. साहब को। आज 43 साल हो गये डा. अम्बेडकर 1956 में मरे, वह 57 में मिलना चाहिये थी। चूंकि करने का इरादा नहीं है, इसलिये नहीं हुआ। इसीलिये मैंने ये सारी चीजें कहीं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने कल बतलाया कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अगले तीन साल के अन्दर, यह जो सिर पर पाखाना उठाने वाला सिस्टम है, उसको हम खत्म करेंगे। जो इस काम में लगे हुए सफाई मजदूर हैं, उनको दूसरे कामों में लगायेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मिनीमम वेजेज एक्ट के संबंध में हमारे साथियों ने राय दी है। मिनीमम वेजेज एक्ट के संबंध में हमने कल ही मुख्य मंत्रियों को लिखा है और कहा है कि मिनीमम वेजेज एक्ट का पालन कड़ाई से किया जाये। कड़ाई से सिर्फ पालन ही नहीं किया जाना चाहिये बल्कि समय-समय पर जो मूल्य सूचकांक बढ़ता है, जो मूल्य वृद्धि होती है, उसके मुताबिक उसमें संशोधन भी किया जाना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहली बार ऐसा मौका आया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में कि भारत के प्रधान मंत्री ने पहली तारीख को जाकर झुग्गी-झोंपड़ी के निवासियों को यह कहा है कि अगले तीन माह के अन्दर दिल्ली में कोई ऐसा व्यक्ति झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला नहीं रहेगा जिसके लिये कि राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं की गयी हो। अभी तक जिस तरह से पासपोर्ट होता है, उसी तरह से राशन कार्ड था। नौकरी कब मिलेगी, जब एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम होगा। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम कब होगा, जब आपके पास राशन कार्ड होगा। राशन कार्ड नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिये सारी-की-सारी चुनावी राजनीति उसके ऊपर आधारित थी। हमारी सरकार ने तीन महीने के समय में सभी के लिये राशन कार्ड की व्यवस्था करने को कहा है और दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला कोई नहीं है, जिसको राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि कोई है भी, तो हम लोग खुले आम कहते हैं कि आप चले आइये, तीन दिन के अन्दर राशन कार्ड देंगे। अभी बैंकलोग के संबंध में हमारे साथियों ने ..(व्यवधान)..

SHRI S. MADHAVAN: Will the Prime Minister visit all the slums throughout India?

श्री राम विलास पासवान: अभी हमारे संघ प्रिय गौतम जी ने एक मामला उठाया और जाति व्यवस्था के संबंध में चोट करते हुए कहा और फिर सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में भी कहा कि जो बड़े-बड़े सेक्रेटरीज के, एडीशनल सेक्रेटरीज के पद हैं, जजेज के पद हैं, उन पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की संख्या नगण्य है और जो लोग उस में योग्य भी हैं, उस में उन को नहीं लिया जाता है। हम बतलाना चाहते हैं कि यह सेनटनरी-ईयर है, बाबा साहब

अम्बेडकर की जन्म-शताब्दी का साल है और इसलिए हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जन्म-शताब्दी समिति का गठन किया है, जिसमें सेंटर के इम्पोर्टेन्ट मिनिस्टर हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए दूसरे लोग हैं और लेबर वेलफेयर मिनिस्टर की हैसियत से मैं भी उसका वाइस-चेयरमैन हूं । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम चेक-आऊट किया है और जिसमें कहा गया है कि एक साल के अन्दर-अन्दर किसी भी श्रेणी का बेकलोग नहीं रहेगा । इसके लिए तीन महीने के चार फेज हमने बनाए हैं । हम यह नहीं कहना चाहते कि तीन महीने में ही हम पूरा कर देंगे (**व्यवधान**)...

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, यह जो ज्वायंट सेक्रेटरी बने हैं, पहले इसमें पूरा करेंगे रिप्रेजेण्टेशन ।

श्री राम विलास पासवान : यह डिपार्टमेंट आफ परसोनेल का मामला है, मुफ्ती साहब यहां बैठे हैं, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं । मैं आपकी भावनाओं को इन तक पहुंचा दूंगा । लेकिन मैं आप को इतना जरुर विश्वास दिलाना चाहता हूं । ... (**व्यवधान**)....मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, दस मिनिट में खतम कर दूंगा ।

मैं यह कहना चाहता था कि जो बैकलोग का मामला है, उस बेकलोग का प्रत्येक तीन महीने में मोनेटरिंग किया जाएगा । यह नहीं कि तीन साल के अंदर का, हम देखेंगे कि टोटल कितना बेकलोग है । विभिन्न केटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, कितनी रिजर्व होनी चाहिए थीं, कितना उसके अगेन्स्ट बैकलोग है ? इसके लिए मोनेटरिंग करेंगे प्रत्येक तीन महीने पर और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 14 अप्रैल, 1991 आते-आते तक प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो पोस्ट का बेकलोग हैं, पूरा हो जाना चाहिए ।

फिर आदिवासियों के संबंध में हमारे साथियों ने राय व्यक्त की । मैंने कल भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि नई सरकार की पालिसी है कि जहां हम पर्यावरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जहां हम योजनाओं के विकास चाहते हैं, वहीं हमारा यह भी है कि जो भी योजना बने और अगर वह आदिवासी क्षेत्र में बनती है तो निश्चित रूप से जो ट्राइब्लस हैं, उनके साथ विचार-विमर्श किया जाय, जिससे उनके हक की सुरक्षा हो सके । हमने यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी जगह पर योजना शुरू करने से पहले, अगर वहां आदिवासी लोग बसे हुए है तो उनके बसाने की व्यवस्था होगी और जब तक व्यवस्था नहीं होगी, उनको वहां से हटाया नहीं जाएगा ।

महोदय, अनटचेबिलिटी के संबंध में हमारे माननीय सथियों ने अपनी राय व्यक्त की है । यह बात सही है, इसमें दो राय नहीं कि जितने भी कानून छुआछूत के आज विद्यमान हैं, उसके अनुसार जो जेल की सजा होनी चाहिए थी, वह जेल की सजा बहुत कम लोगों को होती है । मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ कानून बना देने से छुआछूत मिटने वाली नहीं है । इसके खिलाफ तो एक सामाजिक चेतना, एक सामाजिक आंदोलन करने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि यह कुछेक प्वाइंटस हैं, जिनकी तरफ हमारे माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया । मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में सचेष्ट है ।

महोदय, शेड्यूल्ड कास्टस/सेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, स्टेचुटरी पावर देंगे और इस कमीशन को हम स्टेचुटरी पावर देने जा रहे हैं । इसमें अध्यक्ष के रूप में रामधन सिंह जी का नियुक्त किया गया है । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज तक शेड्यूल्ड कास्टस शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन के चेयरमैन का जो पावर थी, वे सिर्फ सेक्रेटरी की पावर दी गई थी, लेकिन यह जो नए चेयरमैन हैं, इनको मिनिस्टर की पावर दी जा रही है और निश्चित रूप से यह कमीशन न सिर्फ जाकर के एक रिपोर्टिंग बोडी के रूप में रिपोर्ट करने का काम करेगा बल्कि उसको पावर दी जाएंगी, जिसके तहत उन तमाम समस्याओं को भी देख सकेगा और अकुश लगा सकेगा ।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न सिर्फ सरकार के पास नीति है बल्कि हमारी नियत भी है । हमने छह महीने के अंदर यह

[श्री राम विलास पासवान]

किया और अगला हमारा करने का इरादा है। जो भी माननीय सदस्य के सुझाव आएंगे, हम उन सुझावों का स्वागत करेंगे। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में सुझाव देंगे न सिर्फ पार्लियामेंट के माध्यम से बल्कि कंसलटेटिव कमेटी के माध्यम से या पत्र लिखकर, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार की तरफ से आपके एक-एक सुझाव का हम न सिर्फ स्वागत करेंगे बल्कि हम उसको गंभीरता से भी लेंगे। महोदय, हम यह जरूर देखना चाहते हैं कि यह जो अट्रोसिटीज का मामला है, जुल्म और अत्याचार का मामला है तो इस मामले में कोई भी जुल्म करने वाले व्यक्ति को, किसी भी हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा और यदि कोई सरकारी प्राधिकारी उस संबंध में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करत है, यदि वह दोषियों की पकड़ने की बात तो दूर रही, यदि कहीं ऐसा महसूस हो कि जुल्म या अत्याचार होने वाला था और उसकी नैग्लिजेंसी से हुआ है तो उस अफसर को भी नहीं बख्शा जाएगा। तमाम राज्य सरकारों, को भारत सरकार की तरफ से, प्रधान मंत्री की तरफ से यह हिदायतें दी गई हैं कि ऐसे मामलों में दोषियों के लिए विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने उन तमाम साथियों, संसद सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है और एक बार फिर सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया है।

SHRI S. MADHAVAN: In Tamil Nadu, we have got a special police force for prosecuting offences against the Scheduled Castes at DIG level and throughout the State also. How many States have been asked by the Centre to implement this scheme?

श्री राम विलास पासवान : राज्य सरकार ने लिखा है कि लेकिन मैं जरूर तमिलनाडु की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि तमिलनाडु की सरकार ने जो अनुसूचित जाति-जनजाति के संबंध में कदम उठाए हैं, वे काफी सराहनीय है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारत की सरकार, तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव पर न सिर्फ सोच रही है बल्कि कदम भी उठा रही है।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, one point is to be clarified about land distribution. Unless you distribute land equally, this problem of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will not be solved. So, what about that?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने उस संबंध में कहा है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भूमि संबंधी कानून है, उनको हम संविधान के नवें शैड्यूल्ड में लाएंगे। अभी क्या होता है कि किसी को जमीन मिलती भी है, जमीन के मामले में दो बातें हैं—एक तो है जमीन का उचित बंटवारा, और दूसरा है कि जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सैक्शन के लोग हैं, जो सरप्लस लैंड है वह यदि किसी गरीब को दी भी जाती है तो भूमिपति कोर्ट में चला जाता है और स्टे-आर्डर प्राप्त कर लेता है। जब उसे स्टे-आर्डर मिल जाता है तो गरीब आदमी कोर्ट में नहीं जा पाता और वह मामला विवादास्पद हो जाता है। यदि सरकारी अधिकारियों के बल से उस पर कब्जा भी कर लिया जाय तो मामला 144–145 से चलता है।

तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भूमि संबंधी जितने कानून हैं उनको संविधान की नवीं सूची में डाला जाए जिससे जो भूमिपति हैं, उनका कोर्ट में जाने का अधिकार समाप्त हो जाए। यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसे पार्लियामेंट में लाया जाएगा।